प्रेस विज्ञप्ति

26.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपित उपेन्द्र राय से संबंधित 2.18 करोड़ रुपए कीमत की चल-अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अचल संपत्तियाँ आरोपित उपेन्द्र राय के स्वामित्व में फ्लैटों के रूप में नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और चल संपत्तियाँ सावधि जमाओं (एफडी) और बचत खाते में बैलेंस के रूप में हैं।

ईडी ने उपेंद्र राय और अन्य के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पीसी अधिनियम के तहत सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी उपेंद्र राय, उनके भाई नरेंद्र राय और अन्य सहयोगी जांच एजेंसियों से धमकी कार्रवाई द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से धन की उगाही में संलिप्त थे। इस प्रकार उगाही की गई धनराशि परामर्श सेवाओं की आड़ में विभिन्न बैंक खातों में नकद/वस्तु के रूप में प्राप्त की जाती थी। इस मामले में अपराध की आय के रूप में कुल 52.55 करोड़ रुपए की धनराशि उगाही की गई।

इससे पहले, इस मामले में 26.65 करोड़ रुपए कीमत की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं। उपेन्द्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत क्रमशः 06.08.2018 और 26.10.2018 को दायर की गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।